रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256572 CG-DL-E-23082024-256572

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642] No. 642] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/श्रावण 30, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/SHRAVANA 30, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

प्रस्तावना

चूंकि ग्रिंड की विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत की निकासी या अंतःक्षेपण की अनुसूची से विचलन के व्यवस्थापन और निपटान के लिए विनियामक तंत्र प्रदान करना आवश्यक है, इसे एतद्द्वारा निम्नान्सार विनिर्दिष्ट किया गया है:

अधिसूचना

सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (ज) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा आरंभ:

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 है।
- (2) ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

2. उद्देश्य

ये विनियम वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं कि ग्रिड उपयोगकर्ता ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के हित में विद्युत के आहरण और अंतःक्षेपण की अपनी अनुसूची से विचलित न हों और उसका अनुसरण करें।

5325 GI/2024 (1)

3. परिभाषाएं और निर्वचन

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, अपेक्षित न हो,
 - (क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - (ख) समय ब्लॉक में **'वास्तविक निकासी'** से क्रेता द्वारा आहरित, इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है;
 - (ग) समय ब्लॉक में **'वास्तविक अंतःक्षेपण'** से विक्रेता द्वारा अंतःक्षेपित, इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है;
 - (घ) 'आनुषंगिक सेवा' से आनुषंगिक सेवा विनियमों में यथा परिभाषित आनुषंगिक सेवा अभिप्रेत है;
 - (ङ) 'आनुषंगिक सेवा विनियम' से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आनुषंगिक सेवा) विनियम, 2022 अभिप्रेत है और इसमें इसका पुनराधिनियमन भी शामिल होगा;
 - (च) 'क्षेत्र क्लियरिंग कीमत' या 'एसीपी' से बाजार विभाजन के बाद विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) में सभी वैध खरीद और बिक्री बोलियों को ध्यान में रखने के बाद पावर एक्सचेंज में समय—ब्लॉक के लिए संव्यवहारित विद्युत संविदा की कीमत अभिप्रेत है;
 - (छ) पवन या सौर या पवन—सौर स्रोतों के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन स्टेशन, जो कि प्रादेशिक कंपनियां हैं, के लिए **'उपलब्ध क्षमता'**, उन पवन टरबाइनों या सौर इंवर्टरों की संचयी क्षमता रेटिंग है जो कि दिए गए समय ब्लॉक में विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हैं;
 - (ज) 'क्रेता' से ग्रिड कोड के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की खरीद करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (झ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
 - (ञ) 'संविदा दर' से (i) डब्ल्यूएस विक्रेता या एमएसडब्ल्यू विक्रेता या ऐसी अन्य इकाई, यथा लागू, के संबंध में जिनका टैरिफ धारा 62 या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित है, समुचित आयोग द्वारा यथा अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित रु. / किलोवाट घंटा टैरिफ; या (ii) डब्ल्यूएस विक्रेता या एमएसडब्ल्यू विक्रेता या ऐसी अन्य इकाई, यथा लागू, के संबंध में जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित नहीं है, और जो पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से विद्युत का विक्रय कर रहा है, संबंधित संव्यवहार के लिए पावर एक्सचेंज में पता लगाई गई कीमत; या (iii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के कैप्टिव उपभोग के मामले में, संबंधित समय—ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के एकीकृत—डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी; (iv) कैप्टिव उपभोग सिहत बहुविध संविदाओं या संव्यवहारों के मामले में, ऐसे सभी संविदाओं या संव्यवहारों, यथास्थिति, की संविदा दरों की भारित औसत अभिप्रेत है।
 - (ट) विद्युत के विक्रेता के लिए समय ब्लॉक में 'विचलन' से कुल वास्तविक अंतःक्षेपण घटा इसका कुल अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत हैं, और विद्युत के क्रेता के लिए इसकी कुल वास्तविक निकासी घटा कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत हैं, और इसे इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा;
 - (ठ) 'विचलन और आनुषंगिक सेवा पूल लेखा' से इन विनियमों के विनियम 9 के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा रखरखाव और संचालित किया जाने वाला लेखा अभिप्रेत है;
 - (ड) 'सामान्य विक्रेता' से पवन या सौर या पवन—सौर स्रोतों के हाइब्रिड के अलावा अन्य स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन के मामले में विक्रेता अभिप्रेत है;
 - (ढ) **'ग्रिंड संहिता'** से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिंड संहिता अभिप्रेत है;
 - (ण) 'एकीकृत डे अहेड बाजार' से वह बाजार अभिप्रेत है जहाँ डे अहेड बाजार (जीएएम), ग्रीन डे अहेड बाजार (ग्रीन डीएएम), और उच्च कीमत डे अहेड बाजार (एचपी—डीएएम) के अधीन सामूहिक संव्यवहारों सहित, पावर एक्सचेंजों पर डे अहेड संविदाएं संव्यवहारित होती हैं;
 - (त) **'इंटरफेस मीटर'** से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 और उसके किसी भी पुनराधिनियमन के अधीन यथापरिभाषित इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है;

- (थ) **'भार प्रेषण केन्द्र'** से, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है:
- (द) 'एमएसडब्ल्यू विक्रेता' से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित उत्पादन स्टेशन के मामले में विक्रेता अभिप्रेत है और इसमें रिफ्यूज से प्राप्त ईंधन (आरडीएफ) आधारित एमएसडब्ल्यू उत्पादन स्टेशन शामिल है;
- (ध) 'विचलन (एनआर) के लिए प्रभारों की सामान्य दर' से इन विनियमों के विनियम 7 में यथा संदर्भित विचलन (पैसे / किलोवाट घंटा) के लिए प्रभार अभिप्रेत है;
- (न) 'निर्बाध पहुंच विनियम' से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर—राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 अभिप्रेत है और इसमें उसका कोई पुनराधिनियमन भी शामिल होगा;
- (प) 'अर्हताप्राप्त समन्वयक एजेंसी' या 'क्यूसीए' का वही अर्थ होगा जैसा कि ग्रिड कोड में यथा परिभाषित है;
- (फ) 'प्रादेशिक इकाई' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;
- (ब) 'नवीकरणीय समृद्ध राज्य' या 'आरई—समृद्ध राज्य' से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके नियंत्रण क्षेत्र के अधीन सौर और पवन उत्पादन स्टेशनों की संयुक्त संस्थापित क्षमता 5000 मेगावाट या उससे अधिक है;
- (भ) 'नवीकरणीय अति समृद्ध राज्य' या 'आरई अति—समृद्ध राज्य' से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके नियंत्रण क्षेत्र के अधीन सौर और पवन उत्पादन स्टेशनों की संयुक्त संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक परंतु 5000 मेगावाट से कम है;
- (म) 'संदर्भित प्रभार दर' या 'आरआर' से (i) सामान्य विक्रेता के संबंध में जिनका टैरिफ धारा 62 या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित है, समुचित आयोग द्वारा यथा अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित रु. / किलोवाट घंटा ऊर्जा प्रभार; या (ii) सामान्य विक्रेता के संबंध में जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 या धारा 86(1)(ख) के अधीन अवधारित या अंगीकृत या अनुमोदित नहीं है, और जो पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से विद्युत का विक्रय कर रहा है, संबंधित संव्यवहार के लिए पावर एक्सचेंज में पता लगाई गई कीमत; या (iii) नवीकरणीय ऊर्जा म्रोतों के अलावा संसाधनों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के कैप्टिव उपभोग के मामले में, संबंधित समय—ब्लॉक के लिए सभी पावर एक्सचेंजों के एकीकृत—डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी; (iv) कैप्टिव उपभोग सहित बहुविध संविदाओं या संव्यवहारों के मामले में, ऐसे सभी संविदाओं या संव्यवहारों, यथास्थिति, की संदर्भित दरों की भारित औसत अभिप्रेत है।
- (य) 'अपवाह नदी उत्पादन स्टेशन' या 'आरओआर उत्पादन स्टेशन' से वह हाइड्रो उत्पादन स्टेशन अभिप्रेत है जिसका अपस्ट्रीम जल संचय नहीं है;
- (य) किसी समय ब्लॉक या किसी अवधि के लिए 'अनुसूचित उत्पादन' या 'अनुसूचित अंतःक्षेपण' से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान की गई आनुषंगिक सेवा के लिए अनुसूची सहित, मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्स—बस में उत्पादन या अंतःक्षेपण की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (कक) किसी समय ब्लॉक या किसी अवधि के 'अनुसूचित निकासी' से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान की गई आनुषंगिक सेवा के लिए अनुसूची सहित मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्स-बस में निकासी की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (खख) 'विक्रेता' से ग्रिंड संहिता के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करने वाले उत्पादन स्टेशन सहित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (गग) 'समय ब्लॉक' से ग्रिड संहिता में यथापरिभाषित समय ब्लॉक अभिप्रेत है;
- (घघ) 'डब्ल्यूएस विक्रेता' से पवन या सौर या पवन—सौर संसाधनों के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन स्टेशन के मामले में विक्रेता अभिप्रेत है और इसमें भंडारण के साथ या उसके बिना ऐसे सौर या पवन या हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन शामिल होंगे।
- (2) यथापूर्वोक्त के सिवाय, जब तक कि संदर्भ के अनुसार या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो क्रमशः अधिनियम या किसी अन्य विनियम में है।

4. विस्तार

ये विनियम विद्युत के अंतर—राज्यिक क्रय और विक्रय से संबद्ध ग्रिड से जुड़ी सभी प्रादेशिक इकाइयों और अन्य इकाइयों पर लागू होंगे।

5. अनुसूची का अनुपालन और विचलन

- (1) ग्रिंड के सुरक्षित और स्थिर प्रचालन के लिए, प्रत्येक ग्रिंड से जुड़ी प्रादेशिक इकाई ग्रिंड कोड के अनुसार अपनी अनुसूची का अनुपालन करेगी और अपनी अनुसूची से विचलित होने का प्रयत्न नहीं करेगी।
- (2) विचलन का प्रबंधन सामान्य रूप से आनुषंगिक सेवाओं के परिनियोजन से किया जाएगा, और ऐसे विचलन के संबंध में संगणना, प्रभार, और संबद्ध मामलों से इन विनियमों के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

6. विचलन की संगणना

(1) सामान्य विक्रेताओं के लिए समय ब्लॉक में विचलन की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

विचलन—सामान्य विक्रेता (डीजीएस)(मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

विचलन—सामान्य विक्रेता (डीजीएस)(% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)] / [(मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

(2) डब्ल्युएस विक्रेताओं के लिए समय ब्लॉक में विचलन की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

क) इन विनियमों के आरंभ की तारीख से दिनांक 31.03.2026 की अवधि के लिए

विचलन—डब्ल्यूएस विक्रेता (डीडब्ल्यूएस)(मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

विचलन—डब्ल्यूएस विक्रेता (डीडब्ल्यूएस)(% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)] / [(उपलब्ध क्षमता)]

ख) दिनांक 01.04.2026 से आगे की अवधि के लिए

विचलन—डब्ल्यूएस विक्रेता (डीडब्ल्यूएस)(मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)]

विचलन—डब्ल्यूएस विक्रेता (डीडब्ल्यूएस)(% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक अंतःक्षेपण) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित उत्पादन)] / [(उपलब्ध क्षमता का x%) + (100-x) अनुसूचित उत्पादन का %):

परंतु यह कि 'X' का निर्धारण आयोग द्वारा जन परामर्श के बाद पृथक आदेश (आदेशों) के माध्यम से किया जाएगा।

(3) क्रेताओं के लिए समय ब्लॉक में विचलन की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

विचलन—क्रेता (डीबीयूवाइ) (मेगावाट घंटा में) = [(मेगावाट घंटा में वास्तविक निकासी) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित निकासी)]

विचलन—क्रेता (डीबीयूवाइ) (% में) = 100 x [(मेगावाट घंटा में वास्तविक निकासी) — (मेगावाट घंटा में अनुसूचित निकासी)] / [(मेगावाट घंटा में अनुसूचित निकासी)]

7. विचलनों के लिए प्रभारों की सामान्य दर

- (1) किसी विशिष्ट समय ब्लॉक के लिए विचलन हेतु प्रभारों की सामान्य दर (एनआर), (क), (ख) या (ग) की उच्चतम होगी, जहाँ (क), (ख) और (ग) निम्नानुसार हैं:
 - (क) सभी पावर एक्सचेंजों के एकीकृत—डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी (पैसे/किलोवाट घंटा में);
 - (ख) सभी पावर एक्सचेंजों के वास्तविक समय बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी (पैसे / किलोवाट घंटा में),
 - (ग) निम्नलिखित का योगः
 - (क) 1/3 [सभी पावर एक्सचेंजों के एकीकृत—डे अहेड बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी (पैसे/किलोवाट घंटा में)];
 - (ख) 1/3 [सभी पावर एक्सचेंजों के वास्तविक समय बाजार खंडों की भारित औसत एसीपी (पैसे/किलोवाट घंटा में)]; और

(ग) 1/3 [परिनियोजित आनुषंगिक सेवाओं (एसआरएएस यूपी और टीआरएएस यूपी) की कुल मात्रा और सभी प्रदेशों के लिए आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं को देय निवल प्रभारों के आधार पर संगणित आनुषंगिक सेवा प्रभार (पैसे/किलोवाट घंटा में]:

परंतु यह कि किसी दिवस को किसी समय ब्लॉक के लिए एसीपी की अनुपलब्धता के मामले में, अंतिम उपलब्ध दिवस के तदनुरूपी समय ब्लॉक के लिए एसीपी पर विचार किया जाएगा।

(2) विचलन के लिए प्रभारों की सामान्य दर को निकटतम दो दशमलव स्थान तक पूर्णांक किया जाएगा।

8. विचलन के लिए प्रभार

(1) सामान्य विक्रेता (आरओआर उत्पादन स्टेशन और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित उत्पादन स्टेशन को छोडकर) के संबंध में, विचलन के लिए प्रभार निम्नानुसार होंगेः

अधिक अतःक्षेपण के माध्यम से विचलन	कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन
(विक्रेता द्वारा प्राप्य)	(विक्रेता द्वारा देय)
(I) [10% डीजीएस या 100 मेगावाट तक, जो भी कम हो]	और f बैंड के भीतर f विचलन के लिए
(i) @ आरआर जब [49.97 हर्ट्ज़ ≤ f ≤ 50.03 हर्ट्ज़]	(iv) @ आरआर जब [49.97 हर्ट्ज़ \leq f \leq 50.03 हर्ट्ज़]
(ii) जब [50.03 हर्ट्ज़ $< f \le$ 50.05 हर्ट्ज़], 0.01 हर्ट्ज़ से f में प्रत्येक वृद्धि के लिए, ऐसे विक्रेता के लिए विचलन प्रभारों को	
आरआर के 25% से कम किया जाएगा ताकि विचलन के लिए	प्रभारों को आरआर के 7.5% से कम किया जाएगा ताकि
प्रभार आरआर के 50% बन जाएं जब $f=50.05$ हर्ट्ज़	विचलन के लिए प्रभार आरआर के 85% बन जाएं जब $f=$
	50.05 हर्ट्ज़
(iii) जब [49.97 हर्ट्ज़ $> f \ge$ 49.90 हर्ट्ज़], 0.01 हर्ट्ज़ से f में प्रत्येक कमी के लिए, ऐसे विक्रेता के लिए विचलन प्रभारों को	(vi) जब [49.97 हर्ट्ज़ $> f \ge$ 49.90 हर्ट्ज़], 0.01 हर्ट्ज़ से f में प्रत्येक कमी के लिए, ऐसे विक्रेता के लिए विचलन
आरआर के 2.15% से बढ़ाया जाएगा ताकि विचलन के लिए	प्रभारों को आरआर के 7.15% से बढ़ाया जाएगा ताकि
प्रभार आरआर के 115% बन जाएं जब $f=49.90$ हर्ट्ज़	विचलन के लिए प्रभार आरआर के 150% बन जाएं जब $f=$
	49.90 हर्ट्ज़
(II) [10% डी _{जीएस} या 100 मेगावाट तक, जो भी कम हो]	और f बैंड के बाहर f विचलन के लिए
(i) @ शून्य जब [50.05 हर्ट्ज़ < f < 50.10 हर्ट्ज़]:	(iii) @ आरआर का 85% जब [f > 50.05 हर्ट्ज़]
परंतु यह कि ऐसा विक्रेता आरआर के 10% का भुगतान करेगा	
जब [f ≥ 50.10 हर्ट्ज़]	
(ii) @ आरआर का 115% जब [f < 49.90 हर्ट्ज़]	(iv) @ आरआर का 150% जब $[f < 49.90 \text{हर्द्ज़]}$
(III) [10% डी _{जीएस} या 100 मेगावाट से आगे, जो भी कम	हो] और f $_{ m dis}$ के भीतर और बाहर f विचलन के लिए
(i) @ शून्य जब (f < 50.10 हर्ट्ज़):	(ii) @ आरआर जब [f ≥ 50.00 हर्ट्ज़]
परंतु यह कि ऐसा विक्रेता आरआर के 10% का भुगतान करेगा	(iii) @ आरआर का 150% जब [49.90 हर्ट्ज ≤ f < 50.
जब [f ≥ 50.10 हर्ट्ज़]	00 हर्ट्ज], और
	(iv) @ आरआर का 200% जब [f < 49.90 हर्ट्ज]

नोटः सिस्टम फ्रीक्वेंसी = f और f बैंड = [49.90 हर्ट्ज़ $\leq f \leq$ 50.05 हर्ट्ज़]

(2) **आरओआर उत्पादन स्टेशन होते हुए सामान्य विक्रेता** के संबंध में, ग्रिड फ्रीक्वेंसी से किसी लिंकेज के बिना, विचलन के लिए प्रभार निम्नानुसार होंगेः

अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन	कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन
(विक्रेता द्वारा प्राप्य)	(विक्रेता द्वारा देय)
(i) [15% डीजीएस या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, तक	(iii) [15% डीजीएस या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, तक
विचलन के लिए @ आरआर;	विचलन के लिए @ आरआर;
(ii) [15% डीजीएस या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक विचलन के लिए @ शून्य	(iv) [15% डीजीएस या 150 मेगावाट से आगे, जो भी कम हो, और [20% डी _{जीएस} या 200 मेगावाट तक, जो भी कम हो, विचलन के लिए @ आरआर का 105%;
	(v) [20% डीजीएस या 200 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक विचलन के लिए @ आरआर का 110%

(3) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित उत्पादन स्टेशन होते हुए सामान्य विक्रेता के संबंध में, विचलन के लिए प्रभार, ग्रिड फ्रीक्वेंसी से किसी लिंकेज के बिना, निम्नानुसार होंगेः

अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन	कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन
(विक्रेता द्वारा प्राप्य)	(विक्रेता द्वारा देय)
(i) [20% डीजीएस] तक विचलन के लिए @ संविदा दर;	(iii) [20% डीजीएस] तक विचलन के लिए @ संविदा दर;
(ii) [20% डीजीएस] से अधिक विचलन के लिए @ शून्य	(iv) [20% डीजीएस] से अधिक विचलन के लिए @ संविदा दर का 110%

(4) क्यूसीए के माध्यम से पूलिंग स्टेशन पर संकलित ऐसे उत्पादन स्टेशनों सिहत, **डब्ल्यूएस विक्रेता** के संबंध में, विचलन के लिए प्रभार, ग्रिड फ्रीक्वेंसी से किसी लिंकेज के बिना, निम्नानुसार होंगेः

अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन (विक्रेता द्वारा प्राप्य)	कम अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन (विक्रेता द्वारा देय)
•	, ,
(i) वीएलडब्ल्यूएस (1) @ संविदा दर के लिए;	iv) वीएलडब्ल्यूएस (1) @ संविदा दर के लिए;
(ii) वीएलडब्ल्यूएस (2) @ 90% के संविदा दर के लिए;	(v) वीएलडब्ल्यूएस (2) @ 110% के संविदा दर के लिए;
(iii) वीएलडब्ल्यूएस (2) से आगे @ भाून्य;	(vi) वीएलडब्ल्यूएस (2) से आगे @ 200% के संविदा दर के
	लिए;

नोट-1: डब्ल्यूएस विक्रेता के लिए मात्रा सीमाएं (वीएलडब्ल्यूएस):

(i) **इन विनियमों के आरंभ की तारीख** से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए डब्ल्यूएस विक्रेता की मात्रा सीमाएं निम्नानुसार होगी:

डब्ल्यूएस विक्रेता	मात्रा सीमा
सौर या पवन — सौर के हाइब्रिड पर	वीएलडब्ल्यूएस (1) = 10% डीडब्ल्यूएस तक विचलन
आधारित एक उत्पादन स्टे" ान	वीएलडब्ल्यूएस (2)= 10% डीडब्ल्यूएस से आगे और 15% डीडब्ल्यूएस तक विचलन
पवन संसाधन पर आधारित एक उत्पादन स्टे" ान	वीएलडब्ल्यूएस (1) = 15% डीडब्ल्यूएस तक विचलन
₹ € ¶	वीएलडब्ल्यूएस (2)= 15% डीडब्ल्यूएस से आगे और 20% डीडब्ल्यूएस तक विचलन
(i) 01.04.2026 से आगे की अवधि व	हे लिए डब्ल्यूएस विक्रेता की मात्रा सीमाएं:
डब्ल्यूएस विक्रेता	मात्रा सीमा
सौर या पवन – सौर के हाइब्रिड पर आधारित	
सौर या पवन – सौर के हाइब्रिड पर आधारित एक उत्पादन स्टे" ान पवन संसाधन पर आधारित एक उत्पादन	वीएलडब्ल्यूएस (1) = 5% डीडब्ल्यूएस तक विचलन वीएलडब्ल्यूएस (2)= 5% डीडब्ल्यूएस से आगे और 10% डीडब्ल्यूएस
सौर या पवन — सौर के हाइब्रिड पर आधारित एक उत्पादन स्टे" ान	वीएलडब्ल्यूएस (1) = 5% डीडब्ल्यूएस तक विचलन वीएलडब्ल्यूएस (2)= 5% डीडब्ल्यूएस से आगे और 10% डीडब्ल्यूएस तक विचलन

- नोट-2: क्यूसीए के माध्यम से पूलिंग स्टे" ान पर डब्ल्यूएस विक्रेताओं के समुच्चय के मामले में,
 - (क) विचलन के प्रयोजन के लिए संविदा दर पूलिंग स्टे" ान पर समुच्चय के लिए विकल्प करते हुए सभी वैयक्तिक डब्ल्यूएस विक्रेता (विक्रेताओं) की संविदा दरों की भारित औसत के समान होगी;
 - (ख) उपलब्ध क्षमता पवन टर्बाइन या सौर इनवर्टर की संचयी क्षमता रेटिंग के समान होगी जो दिए गए टाइम ब्लॉक में विद्युत के उत्पादन के लिए समर्थ हैं;
 - (ग) पूलिंग स्टे" ान से संबद्ध डब्ल्यूएस विक्रेता (विक्रेताओं) के लिए विचलन प्रभारों की डी—पूलिंग क्यूसीए और इस प्रकार के वैयक्तिक डब्ल्यूएस विक्रेता (विक्रेताओं) के बीच पारस्परिक रूप से सहमत पद्धित के अनुसार होगी।
- (5) स्टैण्ड अलोन ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली (ईएसएस) के संबंध में विचलन के लिए प्रभार इस विनियम के खण्ड (1) में यथाविनिर्दिश्ट सामान्य विक्रेता (आरओआर उत्पादन स्टेशन और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर आधारित उत्पादन स्टेशन से भिन्न) के लिए लागू के समान होगीः

भारत का राजपत्र : असाधारण

परंतु कि चार्जिंग मोड में, अधिक निकासी के माध्यम से विचलन को अंतःक्षेपण के अधीन माना जाएगा और कम निकासी के माध्यम से विचलन को अधिक अंतःक्षेपण के रूप में माना जाएगा और विचलन के लिए प्रभारों को तदनुसार व्यवस्थित किया जाएगाः

परंतु यह भी कि किए जा रहे पम्पड हाइड्रो स्टोरेज संयंत्र स्टैण्ड अलोन इएसएस की चार्जिंग के संबंध में विचलन की संगणना के लिए फार्मूले सहित विचलन के लिए प्रभार **इन विनियमों की आरंभ की तारीख** से 31.03.2026 तक की अविध के लिए सौर संसाधनों पर आधारित उत्पादन स्टे"ान होने के नाते डब्ल्यूएस विक्रेता के लिए लागू के समान होगी।

(6) उसी इंटरकनेक्" ान प्वाइंट पर संबद्ध इएसएस सिहत डब्ल्यूएस विक्रेता के संबंध में विचलन की संगणना के लिए फार्मूला सिहत विचलन के लिए प्रभार (i) उस अविध के दौरान संबंधित श्रेणी के डब्ल्यूएस विक्रेता जिसमें सौर या पवन या हाइब्रिड उत्पादन स्टे" ान विद्युत का अंतःक्षेपण कर रहे हैं, के लिए लागू के समान होगी, (ii) इस विनियम के उपखण्ड (5) के अनुसार स्टैण्ड अलोन इएसएस के लिए यथालागू होगी जब केवल इएसएस विद्युत का अंतःक्षेपण कर रहे हैं, और (iii) इस विनियम के उपखण्ड (5) के अनुसार ग्रिड से निकासी अनुसूची पर आधारित इएसएस द्वारा निकासी के लिए स्टैण्ड अलोन इएसएस के लिए यथालागू होगी।

नोट:

प्रत्येक उत्पादक और इएसएस को वि"ोश ऊर्जा मीटर (एसइएम) के साथ मीटर किया जाएगा ताकि वैयक्तिक वास्तविक अंतःक्षेपण / निकासी को कैप्चर किया जा सके।

(7) क्रेता के संबंध में विचलन के लिए प्रभार निम्नानुसार प्राप्ति योग्य या संदेय होंगे:

कम निकासी के माध्यम से विचलन	अधिक निकासी के माध्यम से विचलन	
(क्रेता द्वारा प्राप्ति योग्य)	(क्रेता द्वारा संदेय)	
(I) वीएलबी (1) औ	(I) वीएलबी (1) और f बैण्ड के अंदर f के लिए	
i) एनआर का @ 90% जब f =50.00 हर्ट्ज;	iv) @ एनआर जब f =50.00 हट्जी;	
ii) जब 50.00 हर्ट्ज < f ≤ 50.05 हर्ट्ज, 0.01 हर्ट्ज द्वारा f में प्रत्येक वृद्धि के लिए, इस प्रकार के क्रेता के लिए विचलन के लिए प्रभारों में एनआर के 8% तक कमी होगी तािक विचलन के लिए प्रभार एनआर का 50% हों जब f = 50.05 हर्ट्ज हो;	v) जब 50.00 हर्ट्ज $< f \le 50.05$ हर्ट्ज, 0.01 हर्ट्ज द्वारा f में प्रत्येक वृद्धि के लिए, इस प्रकार के क्रेता के लिए विचलन के लिए प्रभारों में एनआर के 5% तक कमी होगी तािक विचलन के लिए प्रभार एनआर का 75% हों जब $f = 50.05$ हर्ट्ज हो;	
iii) जब [50.00 हर्ट्ज > $f \ge 49.90$ हर्ट्ज] 0.01 हर्ट्ज द्वारा f में प्रत्येक वृद्धि के लिए, इस प्रकार के क्रेता के लिए विचलन के लिए प्रभारों में एनआर के 1% तक वृद्धि होगी तािक विचलन के लिए प्रभार एनआर का 100% हों जब $f = 49.90$ हर्ट्ज हो;	vi) जब [50.00 हर्ट्ज > $f \ge 49.90$ हर्ट्ज] 0.01 हर्ट्ज द्वारा f में प्रत्येक वृद्धि के लिए, इस प्रकार के क्रेता के लिए विचलन के लिए प्रभारों में एनआर के 5% तक वृद्धि होगी तािक विचलन के लिए प्रभार एनआर का 150% हों जब $f = 49.90$ हर्ट्ज हो;	
(II) वीएलबी (1) और f बाहरी f बैण्ड के लिए		
 (i) @ भाून्य जब [50.05 हर्ट्ज < f < 50.10 हर्ट्ज]: परंतु कि इस प्रकार के क्रेता एनआर के 10% अदा करेंगे जब [f≥ 50.10 हर्ट्ज]; (ii) @ एनआर जब [f < 49.90 हर्ट्ज]; 	 (iii) एनआर का @ 50% जब [50.05 हर्ट्ज < f < 50.10 हर्ट्ज]: (iv) @ भाून्य जब [f ≥ 50.10 हर्ट्ज]; (v) एनआर का @ 150 % जब [f < 49.90 हर्ट्ज]. 	

(III) वीएलबी (2) और f के	अंदर और f बैण्ड के बाहर के लिए
 (i) एनआर का @ 80% जब f ≤ 50.00 हर्ट्ज; (ii)@ 50% एनआर जब [50.00 हर्ट्ज < f ≤ 50.05 हर्ट्ज]; (iii) @ भाून्य जब [50.05 हर्ट्ज < f < 50.10 हर्ट्ज]: परंतु यह कि ऐसे क्रेता एनआर का @ 10% भुगतान करेंगे जब [f ≥ 50.10 हर्ट्ज]; 	 (iv) एनआर का @ 150% जब f < 50.00 हट्जं; (v) @ एनआर जब [50.00 हट्जं ≤ f ≤ 50.05 हट्जं]; (vi) @ 75% एनआर जब [50.05 हट्जं < f < 50.10 हट्जं]; (vii)@ भाून्य जब [f≥ 50.10 हट्जं].
(IV) वीएल $_{ m all}$ (3) और f के अंदर और f $_{ m all}$ $_{ m$	
 (i) @ जीरो जब f < 50.10 हट्जं: परंतु यह कि ऐसे क्रेता एनआर का @ 10% भुगतान करेंगे जब [f ≥ 50.10 हट्जं]; 	(ii) एनआर का @ 200% जब f <50.00 हर्ट्ज; (iii) @ एनआर जब [50.00 हर्ट्ज ≤ f < 50.10 हर्ट्ज] (iv) एनआर का @ 50% जब [f ≥ 50.10 हर्ट्ज]

नोट: क्रेता के लिए मात्रा सीमा:

क्रेता	मात्रा सीमा
क्रेता (400 मेगावाट से	वीएलबी (1) = [10% डीबीयूवाई या 100 मेगावाट, जो भी कम है] विचलन तक
कम अनुसूची और आरई—समृद्ध राज्य सहित क्रेता) से भिन्न	वीएलबी (2)= [10% डीबीयूवाई आगे या 100 मेगावाट, जो भी कम हो] और [15% डी _{बीयूवाई} या 200 मेगावाट, जो भी कम है] तक
	वीएलबी (3)= [15% डीबीयूवाई या 200 मेगावाट, जो भी कम है] विचलन से आगे
क्रेता (400 मेगावाट तक	वीएलबी (1) = [20% डीबीयूवाई या 40 मेगावाट, जो भी कम हो] विचलन
अनुसूची सहित)	वीएलबी (2)= [20% डीबीयूवाई या 40 मेगावाट, जो भी कम हो] विचलन से आगे
क्रेता (आरई-समृद्ध राज्य	वीएलबी (1) = 200 मेगावाट विचलन तक
के नाते)	वीएलबी (2) = 200 मेगावाट विचलन से आगे और 300 मेगावाट तक
	वीएलबी (3) = 300 मेगावाट विचलन से आगे
क्रेता (सुपर आरई-समृद्ध	वीएलबी (1) = 250 मेगावाट विचलन तक
राज्य के नाते)	वीएलबी (2)= 250 मेगावाट विचलन से आगे और 350 मेगावाट तक
	वीएलबी (3)= 350 मेगावाट विचलन से आगे

- (8) इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन के लिए प्रभार भाून्य होंगेः परंतु कि यदि इनफर्म पावर ग्रिंड कोड में यथाविनिर्दिश्ट ट्रायल रन के बाद अनुसूचित की जाती है तो अनुसूचित इनफर्म पावर से विचलन के लिए प्रभार सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता, यथास्थिति, के लिए लागू होंगे।
- (9) उत्पादन यूनिट के सीओडी से पूर्व स्टार्टअप पावर के निकासी के लिए विचलन के लिए प्रभार या उत्पादन स्टे" ान के भाटडाउन के दौरान सहायकों के चलाने के लिए पावर के निकासी के लिए संदर्भ प्रभार दर या संविदा दर पर संदेय होंगे या संदर्भ प्रभार दर या संविदा दर की अनुपस्थिति में, संबंधित समय ब्लॉक के लिए सभी पावरएक्सचेंजों के डे अहेड मार्किट खण्ड के भारित औसत एसीपी, यथास्थिति, पर संदेय होंगे।
- (10) अधिक निकासी या कम निकासी या अधिक अंतःक्षेपण या कम अंतःक्षेपण के माध्यम से अंतर प्रादेि" ाक विचलन के लिए प्रभारों के काल्पनिक रूप से @ सामान्य दर पर संगणित किया जाएगा।

- (11) अधिक निकासी या कम निकासी या अधिक अंतःक्षेपण या कम अंतःक्षेपण के माध्यम से क्रॉसबॉर्डर संव्यवहारों के संबंध में विचलन के लिए प्रभारों की @ सामान्य दर पर संदेय या प्राप्ति योग्य होंगे और विक्रेता को (संबंधित श्रेणी के) या क्रेता को (आरई समृद्ध राज्य या सुपर आरई समृद्ध राज्य से भिन्न), यथास्थिति के लिए यथालागू मात्रा सीमाओं के अध्याधीन होंगे।
- (12) इस विनियम के खण्ड (1) से (11) में अंतर्विश्ट न होने के बावजूद, विक्रेता की फोर्स्ड आउटेज या आं⁷ क आउटेज के मामले में, विचलन के लिए प्रभार आठ समय ब्लॉकों की अधिकतम अविध या इसकी अनुसूची के पुनरीक्षण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए @ संदर्भ प्रभार दर होगी।
- (13) विक्रेता के लिए जिसकी बोलियां एचपी—डैम में क्लियर की जाती है, वहां एचपी—डैम के माध्यम से बेची गई विद्युत की मात्रा के लिए 'कम—अंत:क्षेपण' के माध्यम से विचलन के लिए 'संदर्भ प्रभार दर' उस समय ब्लॉक के लिए सभी पावरएक्सचेंजों के एचपी—डैप बाजार खण्डों के भारित औसत एसीपी के समान होंगे;
- (14) प्रादे ि" ाक परिधि पर निवल अंतः क्षेपण वाले राज्य के मामले में इस प्रकार के राज्य के लिए विचलन प्रभार क्रेता के लिए लागू समान होंगे।

9. विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा के लिए प्रभारों का लेखांकन

- (1) प्रत्येक बृहस्पतिवार को, प्रादेि" ाक भार प्रेशण केन्द्र संबंधित प्रादेि" ाक क्रय समितियों के सचिवालय को रविवार की अर्द्धरात्रि को समाप्त पूर्व सत्ता के लिए इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार संगणित विचलन के लिए डाटा उपलब्ध करवाएंगे।
- (2) प्रादेि" कि भार प्रेशण केन्द्र से विचलन के लिए डाटा प्राप्त करने के बाद, प्रादेि" कि क्रय समितियों के सचिवालय आगामी मंगलवार तक सभी प्रादेि" कि इकाइयों को पूर्व सप्ताह के लिए तैयार किए गए विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी को तैयार और जारी करेगा:
 - परंतु कि अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए संव्यवहार—वार डीएसएम लेखांकन प्रादे⁷⁷ ाक स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।
- (3) लेखों की अलग बहियां प्रादेि" ाक ऊर्जा समितियों के सचिवालय द्वारा विचलन के लिए प्रभारों के मूल संघटक और ब्याज संघटक के लिए रखी जाएगी।
- (4) विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा को संबंधित प्रदे"। के लिए प्रादेि" कि भार प्रेशण केन्द्र द्वारा रखा और संचालित किया जाएगाः
 - परंतु कि राष्ट्रीय भार प्रेशण केन्द्र (एनएलडीसी) इन विनियमों के आरंभ की तारीख से 1 वर्श के अंदर स्टेकहोल्डरों से उचित पराम" करने के बाद राष्ट्रीय विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा के कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रचालन के लिए विस्तृत क्रियाविधि तैयार करेगा और आयोग के अनुमोदन की मांग करेगा।
- (5) विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा निम्नलिखित के लिए क्रेडिट प्राप्त करेगा:
 - (क) इन विनियमों के विनियम 8 में उल्लिखित विचलन के लिए प्रभारों और इन विनियमों के विनियम 10 में उल्लिखित विलंब भुगतान अधिभार के कारण भुगतान;
 - (ख) निम्नलिखित द्वारा किए गए भूगतान:
 - (i) सहायक सेवा विनियमों के अंतर्गत प्रेशित एसआरएएस—डाउन के लिए एसआरएएस प्रदायक;
 - (ii) सहायक सेवा विनियमों के अंतर्गत प्रेशित टीआरएएस-डाउन के लिए टीआरएएस प्रदायक; और
 - (iii) इस प्रकार के अन्य प्रभार जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- (6) विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा निम्नलिखित के लिए प्रभारित करेगा:
 - (क) इन विनियमों के विनियम 8 में उल्लिखित अधिक अंतःक्षेपण के लिए विक्रेता को भुगतान;
 - (ख) इन विनियमों के विनियम 8 में उल्लिखित कम निकासी के लिए क्रेता को भुगतान;
 - (ग) सहायक सेवा विनियमों में यथाउल्लिखित संबंधित एसआरएएस—प्रदायक को संदेय एसआरएएस के लिए प्रोत्साहन तथा प्रादे⁷⁷ ाक आधार पर प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए परवर्ती प्रभार या ऊर्जा प्रभार या क्षतिपूर्ति प्रभार, यथास्थिति, सहित प्रेशित एसआरएएस—अप की पूर्ण लागत;
 - (घ) मात्रा के लिए प्रतिबद्धता प्रभार लेकिन सहायक सेवा विनियमों में यथाउल्लिखित प्रेशित नहीं की गई और प्रेशित की गई और क्लियर की गई मात्रा के लिए प्रभार सिहत टीआरएएस—अप के लिए पूर्ण लागत; और प्रदायक को संदेय एसआरएएस के लिए प्रोत्साहन तथा प्रादेि" ाक आधार पर प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए परवर्ती प्रभार या ऊर्जा प्रभार या क्षतिपूर्ति प्रभार, यथास्थित, सिहत प्रेशित एसआरएएस—अप की पूर्ण लागत; और

- (ङ) इस प्रकार के अन्य प्रभार जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- (7) प्रदे"ा के विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा में घाटे के मामले में अन्य प्रदे" ों के विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा में उपलब्ध अधि" शि रकम को इस विनियम के खण्ड (6) के अंतर्गत भुगतान के व्यवस्थापन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा:

परंतु कि यदि सभी अन्य प्रदे" ों के विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा में अधि" शि रकम को इस प्रकार के घाटे की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है तो बकाया रकम को (i) [आईएसटीएस परिधि में उनके निकासी के अनुपात में 50%] और [उनके जीएनए के अनुपात में 50%]; के अनुपात में 31.03.2026 तक इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से अविध के लिए, और (ii) इस प्रकार के डीआईसी को एनएलडीसी द्वारा आबंटित रिजर्व की कमी के अनुपात में 01.04.2026 से आहरित डीआईसी से वसूल किया जाएगा:

परंतु यह भी कि एनएलडीसी आयोग के अनुमोदन से विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा तथा रिजर्व की कमी के संगणना की पद्धति के लिए और डीआईसी के बीच घाटे के आबंटन के लिए प्रभारों की वसूली के लिए विस्तृत क्रियाविधि तैयार करेगा।

10. विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की अनुसूची

- (1) विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की उच्च प्राथमिकता होगी और संबंधित प्रादेि" कि इकाई प्रादेि" कि ऊर्जा समिति द्वारा विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी जारी करने के 10 दिनों के अंदर देय रकम का भुगतान करेगी जिसके न होने की स्थिति में @ 0.04% विलंब भुगतान अधिभार विलंब के प्रत्येक दिन के लिए संदेय होगा।
- (2) कोई प्रादेशि कि इकाई जो पूर्व वित्तीय वर्श के दौरान किसी भी समय इन विनियमों में विनिर्दिश्ट समय के अंदर विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान में असफल रहती है उसे चालू वित्तीय वर्श के आरंभ से पखवारे के अंदर संबंधित भार प्रेशण केन्द्र के पक्ष में पूर्व वित्तीय वर्श में विचलनों के लिए इसकी औसत संदेय साप्ताहिक देयता के 110% के समतुल्य साखपत्र खोलना अपेक्षित होगा।
- (3) विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी जारी करने की तारीख से 10 दिनों के अंदर विलचन और सहायक सेवा पूल लेखा में भुगतान न करने की स्थिति में, प्रादेि" ाक भार प्रेशण केन्द्र चूक की सीमा तक संबंधित प्रादेि" ाक इकाई के साखपत्र के भुनाने के लिए हकदार होगा और संबंधित प्रादिि" ाक इकाई तीन दिनों के अंदर साखपत्र की रकम की पूर्ति करेगी।

11. शिथिल करने की शक्ति

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, सामान्य या विशेष आदेश से, और इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिलता प्रदान करते हुए प्रभावित होने के लिए संभावित पार्टियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद स्वप्रेरणा से या इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

12. कठिनाई दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, आदेश से, ऐसे उपबंध जो अधिनियम के उपबंधों या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी करने में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक रूप में पाया जाए।

13. निरसन और व्यावृत्तियां

- (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 इन विनियमों के आरंभ की तारीख से निरसित होंगे।
- (2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, कोई प्रक्रिया, कार्यवृत्त, रिपोर्ट, पुष्टिकरण या निरिसत विनियमों के अधीन निष्पादित किसी लिखत की घोषणा सिंहत की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए गए से तात्पर्य होना, इन विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY REGULAROTY COMMISSION

New Delhi, the 5th August, 2024

Preamble

Whereas it is necessary to provide for a regulatory mechanism for the treatment and settlement of deviation from the schedule of drawal or injection of electricity in the interest of reliability, security, and stability of the grid, it is hereby specified as follows:

No. L-1/260/2021/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 read with clauses (c) and (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024.
- (2) These regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

2. Objective

These regulations seek to ensure, through a commercial mechanism, that grid users do not deviate from and adhere to their schedule of drawal and injection of electricity in the interest of security and stability of the grid.

3. Definitions and Interpretation

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) 'Actual drawal' in a time block means the electricity drawn by a buyer, measured by the interface meters;
 - (c) 'Actual injection' in a time block means the electricity injected by the seller, measured by the interface meters;
 - (d) 'Ancillary Services' means the Ancillary Services as defined in the Ancillary Services Regulations;
 - (e) 'Ancillary Services Regulations' means the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022, as amended from time to time and shall include any re-enactment thereof;
 - (f) 'Area Clearing Price' or 'ACP' means the price of an electricity contract for a time-block transacted on a Power Exchange after considering all valid buy and sale bids in a particular area(s) after market-splitting;
 - (g) 'Available Capacity' for generating station based on wind or solar or hybrid of wind-solar resources, which are regional entities, is the cumulative capacity rating of wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given time block;
 - (h) 'Buyer' means a person purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with the Grid Code:
 - (i) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act:
 - (j) 'Contract rate' means (i) in respect of a WS seller or a MSW Seller or such other entity as applicable, whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, Rs/kWh tariff as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission; or (ii) in respect of a WS seller or a MSW Seller or such other entity as applicable, whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the Power Exchange for the respective transaction; or (iii) in case of captive consumption of a captive generating plant based on renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated-Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block; (iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the contract rates of all such contracts or transactions, as the case may be.
 - (k) 'Deviation' in a time block for a seller of electricity means its total actual injection minus its total scheduled generation, and for a buyer of electricity means its total actual drawal minus its total scheduled drawal, and shall be computed as per Regulation 6 of these regulations;

- (1) **'Deviation and Ancillary Service Pool Account'** means the Account to be maintained and operated by the concerned Regional Load Despatch Centre in each region or the National Load Despatch Centre, as per Regulation 9 of these regulations;
- (m) 'General seller' means a seller in case of a generating station based on resources other than wind or solar or hybrid of wind-solar resources;
- (n) 'Grid Code' means the Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;
- (o) **Integrated Day Ahead Market** means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the power exchanges, including collective transactions under Day Ahead Market (DAM), Green Day Ahead Market (Green DAM), and High Price Day Ahead Market (HP-DAM);
- (p) 'Interface meters' means interface meters as defined under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time and any re-enactment thereof;
- (q) 'Load Despatch Centre' means National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be;
- (r) 'MSW seller' means a seller in the case of a generating station based on Municipal Solid Waste and includes Refuse Derived Fuel (RDF) based MSW generating station;
- (s) 'Normal Rate of Charges for Deviation (NR)' means the charges for deviation (in paise/kWh) as referred to in Regulation 7 of these regulations;
- (t) **'Open Access Regulations'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022, as amended from time to time and shall include any re-enactment thereof;
- (u) 'Qualified Coordinating Agency' or 'QCA' shall have the same meaning as defined in the Grid Code;
- (v) 'Regional Entity' means a person whose metering and energy accounting are done at the regional level by the Regional Load Despatch Centre;
- (w) 'Renewable Rich State' or 'RE-rich State' means a State whose combined installed capacity of solar and wind generating stations under the control area of the State is 1000 MW or more but less than 5000 MW;
- (x) 'Renewable Super Rich State' or 'RE Super-rich State' means a State whose combined installed capacity of solar and wind generating stations under the control area of the State is 5000 MW or more;
- (y) 'Reference Charge Rate' or 'RR' means (i) in respect of a general seller whose tariff is determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1)(b) of the Act, Rs/kWh energy charge as determined or adopted or approved by the Appropriate Commission, or (ii) in respect of a general seller whose tariff is not determined or adopted or approved under Section 62 or Section 63 or Section 86(1) (b) of the Act, and selling power through power exchange(s), the price as discovered in the power exchange for the respective transaction; or (iii) in case of captive consumption of a captive generating plant based on resources other than renewable energy sources, the weighted average ACP of the Integrated-Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges for the respective time block; or (iv) in case of multiple contracts or transactions including captive consumption, the weighted average of the reference rates of all such contracts or transactions.
- (z) 'Run-of-River Generating Station' or 'RoR generating station' means a hydro generating station which does not have upstream pondage; (z) 'Scheduled generation' or 'Scheduled injection' for a time block or any period means the schedule of generation or injection in MW or MWh ex-bus, including the schedule for Ancillary Services given by the concerned Load Despatch Centre;
- (aa) 'Scheduled drawal' for a time block or any period means the schedule of drawal in MW or MWh ex-bus, including the schedule for Ancillary Services given by the concerned Load Despatch Centre;
- (bb) 'Seller' means a person, including a generating station, supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with the Grid Code;
- (cc) 'Time Block' means the time block as defined in the Grid Code;
- (dd) 'WS seller' means a seller in the case of a generating station based on wind or solar or a hybrid of wind-solar resources and shall include such solar or wind or hybrid generating station, with or without storage.
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or any other regulation of this Commission shall have the meaning assigned to them respectively in the Act or any other regulation.

4. Scope

These regulations shall be applicable to all grid connected regional entities and other entities engaged in inter-State purchase and sale of electricity.

5. Adherence to Schedule and Deviation

- (1) For the secure and stable operation of the grid, every grid-connected regional entity shall adhere to its schedule as per the Grid Code and shall endeavour not to deviate from its schedule.
- (2) Deviation shall generally be managed through the deployment of Ancillary Services, and the computation, charges, and related matters in respect of such deviation shall be dealt with as per the following provisions of these regulations.

6. Computation of Deviation

(1) Deviation in a time block for general sellers shall be computed as follows:

Deviation-general seller (D_{GS}) (in MWh) = [(Actual injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)].

Deviation-general seller (D_{GS}) (in %) = 100 x [(Actual injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)] / [(Scheduled generation in MWh)].

(2) Deviation in a time block for WS sellers shall be computed as follows:

a) For the period from the date of commencement of these regulations to 31.03.2026

Deviation-WS seller (D_{WS}) (in MWh) = [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)];

Deviation-WS seller (D_{WS}) (in %) = 100 x [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)] / [(Available Capacity)];

b) For the period from 01.04.2026 onwards

Deviation-WS seller (D_{WS}) (in MWh) = [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)];

Deviation-WS seller (D_{WS}) (in %) = 100 x [(Actual Injection in MWh) – (Scheduled generation in MWh)] / [(X% of Available Capacity) + (100 - X) % of Scheduled Generation):

Provided 'X' shall be stipulated by the Commission through separate order(s) after public consultation.

(3) Deviation in a time block for buyers shall be computed as follows:

Deviation- buyer (D_{BUY}) (in MWh) = [(Actual drawal in MWh) – (Scheduled drawal in MWh)].

Deviation- buyer (D_{BUY}) (in %) = 100 x [(Actual drawal in MWh) – (Scheduled drawal in MWh)] / [(Scheduled drawal in MWh)].

7. Normal Rate of Charges for Deviations

- (1) The Normal Rate (NR) of charges for deviation for a particular time block shall be the highest of (A), (B) or (C), where (A), (B) and (C) are as follows:
 - (A) the weighted average ACP (in Paise /kWh) of the Integrated-Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges;
 - (B) the weighted average ACP (in Paise /kWh) of the Real Time Market segments of all the Power Exchanges;
 - (C) the sum of:
 - (a) 1/3 [Weighted average ACP (in paise/kWh) of the Integrated-Day Ahead Market segments of all the Power Exchanges];
 - (b) 1/3 [Weighted average ACP (in paise/kWh) of the Real-Time Market segments of all the Power Exchanges]; and
 - (c) 1/3 [Ancillary Service Charge (in paise/kWh) computed based on the total quantum of Ancillary Services (SRAS UP and TRAS UP) deployed and the net charges payable to the Ancillary Service Providers for all the Regions]:

Provided that in case of non- availability of ACP for any time block on a given day, ACP for the corresponding time block of the last available day shall be considered.

(2) The normal rate of charges for deviation shall be rounded off to the nearest two decimal places.

8. Charges for Deviation

(15) Charges for Deviation, in respect of a **general seller** (<u>other than</u> an RoR generating station and a generating station based on municipal solid waste) shall be as under:

Deviation by way of over injection	Deviation by way of under injection
(Receivable by the Seller)	(Payable by the Seller)
(I) For Deviation up to [10% DGs or 100 MW, whiche	ver is less] and f within f_{band}
(i) @ RR when [49.97 Hz ≤ f ≤50.03 Hz]	(iv) @ RR when [49.97 Hz \leq f \leq 50.03 Hz]
(ii) When [50.03 Hz $<$ $f \le 50.05$ Hz], for every increase in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be reduced by 25% of RR so that charges for deviation become 50% of RR when $f = 50.05$ Hz	(v) When [50.03 Hz $< f \le 50.05$ Hz], for every increase in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be reduced by 7.5% of RR so that charges for deviation become 85% of RR when $f = 50.05$ Hz
(iii) When [49.97 Hz > $f \ge 49.90$ Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be increased by 2.15% of RR so that charges for deviation become 115% of RR when $f = 49.90$ Hz	(vi) When [49.97 Hz > $f \ge 49.90$ Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such seller shall be increased by 7.15% of RR so that charges for deviation becomes 150% of RR when $f = 49.90$ Hz
(II) For Deviation up to [10% D _{GS} or 100 MW, whichever is less] and f outside f band	
(i) @ zero when [$50.05~Hz < f < 50.10~Hz$]: Provided that such seller shall pay @ 10% of RR when [$f \ge 50.10~Hz$]	(iii) @ 85 % of RR when [f > 50.05 Hz]
(ii) @ 115 % of RR when [f < 49.90 Hz]	(iv) @ 150 % of RR when [f < 49.90 Hz]
(III) For Deviation beyond [10% D_{GS} or 100 MW, whichever is less] and f within and outside f_{band}	
(i) @ zero when $(f < 50.10 \text{ Hz})$:	(ii) @ RR when [$f \ge 50.00 \text{ Hz}$];
Provided that such seller shall pay @ 10% of RR when [f ≥ 50.10 Hz]	(iii) @ 150% of RR when [49.90Hz \leq f $<$ 50.00 Hz]; and (iv) @ 200% of RR when [f $<$ 49.90 Hz]

Note: System frequency = f and $f_{band} = [49.90 \text{Hz} \le f \le 50.05 \text{ Hz}]$

(16) Charges for Deviation, in respect of a **general seller being an RoR generating station,** shall be **without any linkage to grid frequency**, as under:

Deviation by way of over injection (Receivable by the Seller)	Deviation by way of under injection (Payable by the Seller)
(i) @ RR for deviation up to [15% D_{GS} or 150 MW, whichever is less];	(iii) @ RR for deviation up to [15% D_{GS} or 150 MW, whichever is less];
(ii) @ Zero for deviation beyond [15% D _{GS} or 150 MW, whichever is less]	 (iv) @ 105% of RR for deviation beyond [15% D_{GS} or 150] MW, whichever is less] and up to [20% D_{GS} or 200 MW, whichever is less]; (v) @ 110% of RR for deviation beyond [20% D_{GS} or 200]
	(V) @ 110% of KK for deviation beyond [20% D_{GS} of 200 MW, whichever is less].

(17) Charges for Deviation, in respect of a **general seller being a generating station based on municipal solid waste,** shall be <u>without any linkage to grid frequency</u>, as under:

Deviation by way of over injection (Receivable	Deviation by way of under injection
by the Seller)	(Payable by the Seller)
	(iii) @ contract rate for deviation up to $[20\% D_{GS}];$
 (i) @ contract rate for deviation up to [20% D_{GS}]; (ii) @ Zero for deviation beyond [20% D_{GS}]; 	(iv) @ 110% of contract rate for deviation beyond [20% D_{GS}].
(-,	

(18) Charges for Deviation, in respect of **a WS Seller**, including such generating stations aggregated at a pooling station through QCA shall be without any linkage to grid frequency, as under:

ayable by the Seller)
for $VLw_S(1)$ @ contract rate;
for $VLw_S(2)$ @ 110% of contract rate;
beyond VLw _S (2) @ 200% of contract rate'
f f

Note-1: Volume Limits for WS Seller (VLws):

(ii) Volume limits of a WS Seller for the period from **the date of commencement of these regulations** to 31.03.2026 shall be as under:

WS Seller	Volume Limit	
A generating station based on solar or a hybrid of wind –solar resources	$VLw_S(1) = Deviation up to 10\% D_{WS}$ $VLw_S(2) = Deviation beyond 10\% D_{WS} and up to 15\% D_{WS}$	
A generating station based on wind resource	$VLw_S(1) = Deviation up to 15\% D_{WS}$ $VLw_S(2) = Deviation beyond 15\% D_{WS} and up to 20\% D_{WS}$	
(iii) Volume limit of a WS Seller for the period from 01.04.2026 onwards: WS Seller Volume Limit		
A generating station based on solar or a hybrid of wind –solar resources	$VLw_S(1) = Deviation up to 5\% D_{WS}$ $VLw_S(2) = Deviation beyond 5\% D_{WS} and up to 10\% D_{WS}$	
A generating station based on wind resource	$VLw_S(1)$ = Deviation up to 10% D_{WS} $VLw_S(2)$ = Deviation beyond 10% D_{WS} and up to 15% D_{WS}	

Note-2: In case of aggregation of WS sellers at a pooling station through QCA,

(a) the contract rate for the purpose of deviation shall be equal to the weighted average of the contract rates of all individual WS seller(s) opting for aggregation at the pooling station;

- (b) Available Capacity shall be equal to the cumulative capacity rating of wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given time block;
- (c) de-pooling of deviation charges for WS seller(s) connected to the pooling station shall be as per the methodology mutually agreed upon between the QCA and such individual WS seller(s).
- (19) Charges for Deviation, in respect of a Standalone Energy Storage System (ESS), shall be the same as applicable to a **general seller** (other than an RoR generating station and a generating station based on municipal solid waste) as specified in Clause (1) of this Regulation:

Provided that in the charging mode, deviation by way of over drawal shall be treated as under injection and deviation by way of under drawal shall be treated as over injection and the charges for deviation shall be settled accordingly:

Provided further that the charges for deviation including the formula for computation of Deviation, in respect of charging of a standalone ESS being pumped hydro storage plant shall be the same as applicable to a WS seller being a generating station based on solar resources, for the period from **the date of commencement of these regulations** to 31.03.2026.

Charges for Deviation including the formula for computation of Deviation, in respect of a WS Seller with ESS connected at the same interconnection point shall be the same (i) as applicable to a WS seller of respective category during the period solar or wind or hybrid generating station is injecting power, (ii) as applicable to a standalone ESS as per sub-clause (5) of this Regulation, when only ESS is injecting power, and (iii) as applicable to a standalone ESS for drawl by ESS based on drawal schedule from the grid as per sub-clause (5) of this Regulation.

Note:

Each generator and ESS shall be metered with Special Energy Meter (SEM) so that individual actual injection/drawal can be captured.

(20) Charges for Deviation, in respect of a **Buyer**, shall be receivable or payable as under:

Deviation by way of under drawal	Deviation by way of over drawal	
(Receivable by the Buyer)	(Payable by the Buyer)	
(V) For $VL_B(1)$ and f within f_{band}		
i) @ 90% of NR when $f = 50.00 \text{ Hz}$;	iv) @ NR when $f = 50.00 \text{ Hz}$;	
ii) When $50.00~{\rm Hz} < f \le 50.05~{\rm Hz}$, for every increase in f by $0.01~{\rm Hz}$, charges for deviation for such buyer shall be decreased by 8% of NR so that charges for deviation become 50% of NR when $f = 50.05{\rm Hz}$;	v) When $50.00 < f \le 50.05$ Hz , for every increase in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such buyer shall be decreased by 5% of NR so that charges for deviation become 75% of NR when $f=50.05$ Hz;	
iii) When [50.00 Hz > f \geq 49.90 Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such buyer shall be increased by 1 % of NR so that charges for deviation become 100% of NR when $f=49.90$ Hz;	vi) When [50.00 Hz > f \geq 49.90 Hz], for every decrease in f by 0.01 Hz, charges for deviation for such buyer shall be increased by 5% of NR so that charges for deviation become 150% of NR when $f = 49.90$ Hz.	
(VI)For VL _B (1) and foutside f band		
(i) @ zero when [$50.05 \text{ Hz} < f < 50.10 \text{ Hz}$]:	(iii) @ 50% of NR when [50.05 Hz < f < 50.10 Hz]:	
Provided that such buyer shall pay @ 10% of NR when $[f \ge 50.10 \text{ Hz}];$	(iv) @ zero when $[f \ge 50.10 \text{ Hz}]$;	

(ii) @ NR when $[f < 49.90 \text{ Hz}];$	(v) @ 150 % of NR when $[f < 49.90 \text{ Hz}]$.
(VII) For VL _B (2)	and f within and outside f band
(i) @ 80% of NR when $f \le 50.00$ Hz; (ii) @ 50% NR when [50.00 Hz $< f \le 50.05$ Hz]; (iii) @ zero when [50.05 Hz $< f < 50.10$ Hz]: Provided that such buyer shall pay @ 10% of NR when [$f \ge 50.10$ Hz];	(iv) @ 150% of NR when $f < 50.00$ Hz; (v) @ NR when [50.00 Hz \le f \le 50.05 Hz]; (vi) @ 75% NR when [50.05 Hz $<$ f $<$ 50.10 Hz]; (vii) @ zero when [$f \ge$ 50.10 Hz].
(VIII) For $VL_B(3)$ at (i) @ zero when $f < 50.10$ Hz:	and f within and outside f band (ii) @ 200% of NR when $f < 50.00$ Hz;
Provided such buyer shall pay @ 10% of NR when [$f \ge 50.10 \text{ Hz}$];	(iii) @ NR when [50.00 Hz $\leq f <$ 50.10 Hz] (iv) @ 50% of NR when [$f \geq$ 50.10 Hz].

Note: Volume Limits for Buyer:

Buyer	Volume Limit
Buyer other than (the buyer with a schedule less than 400 MW and the RE-rich State)	VLB(1) = Deviation up to [10% DBUY or 100 MW, whichever is less]
	VLB (2) = Deviation [beyond 10% DBUY or 100 MW, whichever is less] and up to [15% D_{BUY} or 200 MW, whichever is less]
	VLB (3) = Deviation beyond [15% DBUY or 200 MW, whichever is less]
Buyer (with a schedule up to 400 MW)	VLB (1) = Deviation [20% DBUY or 40 MW, whichever is less]
	VLB (2) = Deviation beyond [20% DBUY or 40 MW, whichever is less]
Buyer (being an RE Rich State)	VLB (1) = Deviation up to 200 MW
	VLB (2) = Deviation beyond 200 MW and up to 300 MW
	VLB (3) = Deviation beyond 300 MW
Buyer (being Super RE Rich State)	VLB (1) = Deviation up to 250 MW
	VLB (2) = Deviation beyond 250 MW and up to 350 MW
	VLB (3)= Deviation beyond 350 MW

- (21) The charges for deviation by way of injection of infirm power shall be zero:
 - Provided that if infirm power is scheduled after trial run as specified in the Grid Code, the charges for deviation over the scheduled infirm power shall be as applicable for a general seller or WS seller, as the case may be.
- (22) The charges for deviation for drawal of start-up power before the COD of a generating unit or for drawal of power to run the auxiliaries during the shut-down of a generating station shall be payable at the reference charge rate or contract rate or in the absence of reference charge rate or contract rate, the weighted average ACP of the Day Ahead Market segments of all Power Exchanges for the respective time block, as the case may be.
- (23) The inter-regional deviation caused by way of over drawal or under drawal or over injection or under-injection shall be computed notionally @ normal rate of charges for deviation.
- (24) The charges for deviation in respect of cross-border transactions caused by way of over drawal or under drawal or over injection or under-injection shall be payable or receivable @ normal rate of charges and subject to volume limits as applicable to a seller (of the respective category) or to a buyer (other than a RE-rich State or a Super RE-rich State), as the case may be.

- (25) Notwithstanding anything contained in Clauses (1) to (11) of this Regulation, in case of forced outage or partial outage of a seller, the charges for deviation shall be @ the reference charge rate for a maximum duration of eight time blocks or until the revision of its schedule, whichever is earlier.
- (26) For a Seller whose bids are cleared in the HP-DAM, the 'reference charge rate' for deviation by way of 'underinjection' for the quantum of power sold through HP- DAM shall be equal to the weighted average ACP of the HP-DAM Market segments of all the Power Exchanges for that time block;
- (27) In case of a State having net injection at the regional periphery, the deviation charges for such State shall be as applicable to a buyer.

Accounting of Charges for Deviation and Ancillary Service Pool Account

- (8) By every Thursday, the Regional Load Despatch Centres shall provide the data for deviation calculated as per Regulation 6 of these regulations for the previous week ending on Sunday midnight to the Secretariat of the respective Regional Power Committees.
- (9) After receiving the data for deviation from the Regional Load Despatch Centre, the Secretariat of the Regional Power Committee shall prepare and issue the statement of charges for deviation prepared for the previous week to all regional entities by ensuing Tuesday:
 - Provided that transaction-wise DSM accounting for intra-State entities shall not be carried out at the regional level.
- (10) Separate books of accounts shall be maintained for the principal component and interest component of charges for deviation by the Secretariat of the Regional Power Committees.
- (11) There shall be a Deviation and Ancillary Service Pool Account to be maintained and operated by the Regional Load Despatch Centre for the respective region:
 - Provided that the National Load Despatch Centre (NLDC) shall formulate detailed procedure for implementation, maintenance and operation of the National Deviation and Ancillary Services Pool account after due consultation with stakeholders within 1 (one) year from the date of commencement of these Regulations and seek approval of the Commission.
- (12) The Deviation and Ancillary Service Pool Account shall receive credit for:
 - (a) payments on account of charges for deviation referred to in Regulation 8 of these regulations and the late payment surcharge as referred to in Regulation 10 of these regulations;
 - (b) payments made by:
 - (i) SRAS Provider for the SRAS-Down despatched under the Ancillary Services Regulations;
 - (ii) TRAS Provider for the TRAS-Down despatched under the Ancillary Services Regulations; and
 - (iii) such other charges as may be notified by the Commission.
- (13) Deviation and Ancillary Service Pool Account shall be charged for:
 - (a) payment to the seller for over injection as referred to in Regulation 8 of these regulations;
 - (b) payment to the buyer for under drawal as referred to in Regulation 8 of these regulations;
 - (c) the full cost of despatched SRAS-Up, including the variable charge or the energy charge or the compensation charge, as the case may be, for every time block on a regional basis, as well as the incentive for SRAS, payable to the concerned SRAS Provider as referred in the Ancillary Services Regulations;
 - (d) the full cost towards TRAS-Up, including the charges for the quantum cleared and despatched and the commitment charge for the quantum cleared but not despatched as referred in the Ancillary Services Regulations; and
 - (e) such other charges as may be notified by the Commission.
- (14) In case of deficit in the Deviation and Ancillary Service Pool Account of a region, the surplus amount available in the Deviation and Ancillary Service Pool Accounts of other regions shall be used for settlement of payment under clause (6) of this Regulation:

Provided that in case the surplus amount in the Deviation and Ancillary Service Pool Accounts of all other regions is not sufficient to meet such deficit, the balance amount shall be recovered from the drawee DICs - (i) for the period from the date of effect of these regulations till 31.03.2026, in the ratio of [50% in proportion to

their drawal at the ISTS periphery] and [50% in proportion to their GNA]; and (ii) from 01.04.2026, in the ratio of the shortfall of reserves allocated by NLDC to such DICs:

Provided further that the NLDC shall prepare, with the approval of the Commission, a detailed procedure for recovery of charges in case of deficit in the Deviation and Ancillary Service Pool Accounts, and for the methodology of computation of shortfall of reserves and allocation of deficit amongst DICs.

9. Schedule of Payment of charges for deviation

- (4) The payment of charges for deviation shall have a high priority, and the concerned regional entity shall pay the due amounts within 10 (ten) days of the issue of the statement of charges for deviation by the Regional Power Committee, failing which late payment surcharge @ 0.04% shall be payable for each day of delay.
- (5) Any regional entity which at any time during the previous financial year fails to make payment of charges for deviation within the time specified in these regulations shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of its average payable weekly liability for deviations in the previous financial year in favour of the concerned Regional Load Despatch Centre within a fortnight from the start of the current financial year.
- (6) In case of failure to pay into the Deviation and Ancillary Service Pool Account within 10 (ten) days from the date of issue of the statement of charges for deviation, the Regional Load Despatch Centre shall be entitled to encash the LC of the concerned regional entity to the extent of the default and the concerned regional entity shall recoup the LC amount within 3 days.

10. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by the affected party.

11. Power to Remove Difficulty

If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such practice directions as may be considered necessary in furtherance of the objective of these regulations.

12. Repeal and Savings

- (1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 shall stand repealed from the date of commencement of these Regulations.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, including any procedure, minutes, reports, confirmation or declaration of any instrument executed under the repealed regulations, shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of these regulations.

Harpreet Singh Pruthi, Secretary [ADVT.-III/4/Exty./411/2024-25]